(34)

~~क्र. प.13(4)सि0/79 पार्ट-II~~

(33)

परिशिष्ट "ग"

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	Regd, No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 8, सोमवार, शाके 1917-मई 29, 1995 Jyaistha 8, Monday, Shaka 1917- May 29, 1995	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

सिंचाई विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 17, 1995

जी. एस. आर. 17:- राजस्थान सिंचाई और जल-निकास अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 21) की धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सिंचाई और जल-निकास नियम, 1955 के नियम 15 और अनुसूची-1 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

1. नियम 15 में संशोधन:-
   विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
   "15-सिंचाई से भिन्न प्रयोजनो के लिए प्रदायित जल के लिए प्रभार:-
   खण्ड सिंचाई अधिकारी (अधिशाषी अभियंता) की पूर्व आज्ञा से सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनुसूची-1 में उल्लिखित दरों पर जलाशय भरे जा सकेगें या किसी जलाशय/नहर से जल का प्रदाय किया जा सकेगा"
2. नियमों से सलंग्न अनुसूची-1 में संशोधन:-
   अनुसूची-1 की विद्यमान मद 5 (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद 5 (क) प्रतिस्थापित की जायेगी और इस प्रकार प्रतिस्थापित मद 5 (क) को

सहायक अभियन्ता
कार्यालय मुख्य अभियन्ता.
जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर

पश्चात् और मद 5 (ख) के पूर्व निम्नलिखित नयी मद 5 (क क) अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

क्र. सं.	मद	दर प्रति हजार घनफुट
5 (क)	औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रदायित जल	20/- रूपयें
5 (क क)	जंहा किसी उद्योग द्वारा, कोई सरकारी व्यय उपगत किये बिना जल का उपयोग सीधे नदी/नाले से किया जाता हो वंहा ऐसे जल के उपयोग के लिये दर, औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रदायित जल को 10 प्रतिशत की दर से उदगृहित की जायेगी ।	

नियम 15 और अनुसूची की मद 5 (क) में उपयुक्त संशोधन 28.11.1991 से प्रवृत्त हुये समझे जावेगें और अनुसूची-1 की मद (क क) के उपबन्ध तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगें ।

राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
शासन सचिव

IRRIGATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, May, 17, 1995

G.S.R.17.- In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 60 of the Rajasthan Irrigation and Drainage Act, 1951 (Act 21 of 1951) the State Government hereby makes the following amendments in Rule 15 and Schedule I of the Rajsthan Irrigation & Drainage Rules, 1955, namely:-

सहायक अभियन्ता
कार्यालय मुख्य अभियन्ता

136

~~फ. एफ. 13(4) सिंचाई/ 79 प~~

(90)

AMENDMENTS

(1) AMENDMENT IN RULE 15:

The existing Rules is shall be substitute by the following namely: - "15 Charges of water supplied for other than irrigation purposes with the previous permission of the Divisional Irrigation Officer (Executive Engineer)) tanks may be filled or water may be supplied from a tank/ canal for purposes other than irrigation, at the rates mentioned in Schedule 1."

2. AMENDMENT IN SCHEDULE- 1 APPENDED TO THE RULES:

The existing item 5(a) of schedule-1 shall be substituted by the following item 5(a) and after item 5(a) so substituted and before the item 5 (b), following new items 5(aa) shall be inserted, namely:-

S.No.	Item	Rate per thousand Cft.
5(a)	Water supplied for industrial purposes	Rs. 20/-
5(aa)	Where water is used by an industry directly from river /nallah without incurring any Government expenditure, the rates for such water use shall be levied @ 10% of the rate for waters supplied for industrial purposes.	

Aforesaid amendment in rule 15 and item 5(a) of Schedule –I shall be deemed to have been come into force with effect from 28.11.1991 and provision of item 5(aa) of schedule shall come into force with immediate effect.

(No. F. 13(62) Irg/84 Part -- II)
By order of the Governor
Sd/-
D.S.Meena
Secretary to the Government.

PC Attested

सहायक अभियन्ता
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर